Report of the Comptroller and Auditor General of India for the period ended March 2022, Government of Uttar Pradesh, Report No. 6 of 2024 (Compliance Audit Civil & Commercial)

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	२० दिसंबर
Edition (H/E)	हिंदी
Page No.	02

16 विभागों और 53 पीएसयू ने दिया 322 करोड़ का झटका

सीएजी ने प्रदेश सरकार की 156 इकाइयों का किया ऑडिट

लखनऊ। प्रदेश सरकार के 16 विभागों और 53 सरकारी कंपनियों (पीएसयू) ने सरकारी खजाने को 322 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। विधान मंडल के दोनों सदनों में रखी गई नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों के तहत आनो वाली 156 इकाइयों का ऑडिट किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सड़क परिवहन निगम (142.70 करोड़) और आवास विकास परिषद (105.16 करोड़) लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रम रहे। बिजली कंपनियां नुकसान वाली मुख्य पीएसयू रहीं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने खर्च नहीं की गई राशि सरेंडर नहीं की। वहीं, निधियों को खत्म होने से बचाने के लिए तेल कंपनियों को एडवांस के तौर पर दे दिया। निर्देशों के उल्लंघन के कारण इसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए निक्षेप साख सीमा (डीसीएल) में बदल दिया गया।

पीडब्ल्यूडी ने सड़क पर बिटुमिनस मैकैडम व कंक्रीट की मोटी परत बिछाने में 6.87 करोड़ रुपये खर्च कर डाले। यूपी एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्टांप व पंजीकरण शुल्क का अनुपालन नहीं करने से 39.61 करोड़ का नुकसान हुआ। ब्यूरो

Report of the Comptroller and Auditor General of India for the period ended March 2022, Government of Uttar Pradesh, Report No. 6 of 2024 (Compliance Audit Civil & Commercial)

Name of the Newspaper	दैनिक जागरण
Date	२० दिसंबर २०२४
Edition (H/E)	हिंदी
Page No.	02

सार्वजनिक क्षेत्र के 21 उपक्रम लगा रहे चूना

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) सरकार को मोटा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट में 37 पीएसयू में से 21 को घाटे में दिखाया गया है, जबकि 16 को लाभ में दिखाया गया है। घाटे वाले पीएसयू ने 15856.93 करोड़ रुपये का सरकार को चूना लगाया है। जो फायदे में रहे उन्होंने 378.18 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। लाभ कमाने वाले मुख्य पीएसयू में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम व आवास विकास परिषद शामिल हैं।

परिवहन निगम 31 मार्च 2022 तक 142.70 करोड़ व आवास विकास 105.16 करोड़ के लाभ में रहे हैं। पावर कारपोरेशन 8305.27 करोड़, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम 2957.52 करोड़ व मध्यांचल विद्युत वितरण निगम 2042.20 करोड़ रुपये के घाटे में रहे हैं। सीएजी ने एक आवंटी से 3.70 करोड़ रुपये का लोकेशन प्रभार वसूलने में विफल रहने पर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।

पर्यटन विभाग की लापरवाही, 24.26 करोड़ का व्यय गया बेकार : सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में पर्यटन विभाग की लापरवाही उजागर की है। सैफई में पर्यटन भवन व मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण पर विभाग ने 24.26 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। इसके बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। पर्यटन विभाग ने 2016-17 में 28.93 करोड़ रुपये से पर्यटन भवन व 41.89 करोड़ रुपये से मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण के लिए राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था चुना था। दोनों परियोजनाओं पर 24.26 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद काम बंद कर दिया गया।

सीएजी ने सवाल उठाया है कि कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम ने वास्तविक खर्च 24.26 करोड़ के सापेक्ष 35.08 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। दोनों परियोजनाओं पर अब भी काम पूरा नहीं हो सका है। नतीजतन इन परियोजनाओं पर 24.26 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के बाद भी इसका लाभ पर्यटकों को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार पर्यटन महानिदेशक के कार्यालय द्वारा जरूरत से अधिक बिजली का भार जारी कराने को लेकर 1.38 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान ऊर्जा निगम को करना पड़ा।

माल लिए बिना 117 .79 करोड़ के भुगतान पर सीएजी ने उठाए सवाल

- पेट्रोलियम कंपनियों को अग्रिम भुगतान करने पर फंसा लोक निर्माण विभाग
- अग्रिम भुगतान के बाद भी ढाई वर्ष तक की जाती रही बिटुमिन की आपूर्ति

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने माल लिए बिना लोक निर्माण विभाग की तरफ से पेट्रोलियम कंपनियों को 117.79 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करने पर सवाल उठाया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विभागाध्यक्ष के निर्देश के बाद भी अधिकारियों ने पेट्रोलियम कंपनियों से 10.37 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान वापस नहीं लिया।

गुरुवार को विधानसभा में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट में इन तथ्यों को पेश किया गया है कि लोनिवि के अधिकारियों ने 2019-20 से 2021-22 में पेट्रोलियम कंपनियों को नई सड़कों के निर्माण के लिए बिटुमिन व इमल्शन की आपूर्ति के लिए अग्रिम रूप में 117.79 करोड़ रुपये दिए थे। सीएजी ने यह भी स्पष्ट किया है कि नकद साख सीमा (सीसीएल) व निक्षेप साख सीमा (डीसीएल) की राशि एक दूसरे में किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं की जा सकती है।

इसके बाद भी अधिकारियों ने इस राशि को सीसीएल से डीसीएल में परिवर्तित किया। सीएजी ने यह भी जिक्र किया है कि पेट्रोलियम कंपनियों से लोनिवि को 13 से 38 माह बाद बिटुमिन की आपूर्ति की गई। इसलिए अग्रिम भुगतान की जरूरत ही नहीं थी।

सड़क निर्माण में 6.87 करोड़ ज्यादा खर्च किए

सीएजी की रिपोर्ट में इसका भी उल्लेख किया गया है कि लोक निर्माण विभाग ने ललितपुर कैलगुवां मार्ग पर 6.87 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किए। 30 किलोमीटर के इस मार्ग पर यह राशि अतिरिक्त परत बिछाने पर खर्च की गई, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। विभागीय अधिकारियों ने डिजाइन व ट्रैफिक के भार का सही आकलन नहीं किया, इस कारण यह अतिरिक्त राशि खर्च की गई।

यूपीडा ने पंजीकरण व स्टांप शुल्क के रूप में कम राशि जमा कराई

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एंबुलेंस, गश्ती वाहनों की तैनाती और टोल टैक्स वसूली के लिए यूपीडा ने तीन ठेकेदारों को काम दिया था। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कार्य के लिए यूपीडा ने ठेकेदारों के साथ अपंजीकृत अनुबंध किए थे। पंजीकरण शुल्क चार प्रतिशत की दर से राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। इसकी वजह से राजकोष को 39.61 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा।

Report of the Comptroller and Auditor General of India for the period ended March 2022, Government of Uttar Pradesh, Report No. 6 of 2024 (Compliance Audit Civil & Commercial)

Name of the Newspaper	Hindustan Times
Date	20 December, 2024
Edition (H/E)	English
Page No.	04

'Many public sector undertakings in U.P. a drain on state exchequer'

Umesh Raghuvanshi
uraghuvanshi@hindustantimes.com

LUCKNOW : Many public sector undertakings (PSUs) in Uttar Pradesh appear to be a drain on the state's exchequer with power sector companies leading the list of loss-making units while the net worth of 10 PSUs has completely eroded due to the accumulated losses over the years.

Taking strong exception to the heavy losses being incurred by 21 of 37 PSUs (period of study ending March 31, 2022), the comptroller and auditor general (CAG) has suggested that the state government may review the performance of all these companies.

"The state government may review the performance of loss-making PSUs and invest in them cautiously and take measures to improve their performance," observed the CAG in its report on the financial performance of state PSUs tabled in the state legislative assembly here on Thursday.

Out of 37 PSUs (studied by the CAG), 21 incurred losses of Rs 15,856.93 crore while the remaining 16 earned a profit of Rs 378.18 crore. The state government's major loss-making PSUs are the companies of the power sector with the UP Power Corporation Limited incurring heavy losses. As on March 31, 2022, the UPPCL's losses were Rs 8305.27 crore, Dakshinanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited Rs 2957.52 crore and Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited Rs 2042.20 crore.

"The power sector company- mainly the UPPCL - is contributing to heavy losses, and the state government is aware of the issue," said chief secretary Manoj Kumar Singh.

The state government's top profit-making PSUs (as on March 31, 2022) include UP State Road Transport Corporation (Rs 142 crore) and UP Awas Evam Vikas Parishad (Rs 105.16 crore).

UP has nearly 114 PSUs - 72 are functional while 42 are non-functional. The CAG studied the performance of 37 PSUs that did not have their accounts in arrears.

The total investment (equity and long-term loans) was Rs 2,80,732.97 crore in these PSUs under study. The investment included 58.51% towards equity and 41.49% in long-term loans.

The state government has an investment of Rs 1,55,400.63 crore in these PSUs and this includes equity of Rs 1,52,384.09 crore and long-term loans of Rs 3016.54 crore.

The net worth of the state government's 10 PSUs was (-) Rs 62,779.27 crore against an equity investment of Rs 1,37,041.97 crore.

Out of these 37 PSUs, 17 earned profit during 2019-2020 and 2020-2021.

The number of profit-making PSUs, however, decreased to 16 in 2021-2022. The profit-making PSUs earned a profit of Rs 784.29 crore, Rs 17,757.50 crore and Rs 378.18 crore in 2019-2020, 2020-2021 and 2021-2022, respectively. The CAG has noted that the profit in 2020-2021 increased extraordinarily due to write back of provision of bad debts amounting to Rs 17381.56 crore by UPPCL.

The CAG has also suggested that the respective PSUs should, in a time-bound manner, reconcile the figures of equity, loans and guarantees outstanding as per records of the PSUs and as per the finance accounts of government of Uttar Pradesh.

Report of the Comptroller and Auditor General of India for the period ended March 2022, Government of Uttar Pradesh, Report No. 6 of 2024 (Compliance Audit Civil & Commercial)

Name of the Newspaper	The Times of India
Date	December 20, 2024
Edition (H/E)	English
Page No.	06

UP's 11 power sector PSUs incurred ₹1.6Lcr losses till 2022: CAG report

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: The UP government's 11 public sector undertakings in the power sector have incurred a mammoth loss of over Rs 1.6 lakh crore, the Comptroller and Auditor General report has pointed out. In another CAG report, it was revealed that Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) has pending overdues against allottees/sub-lessees worth Rs 4226.01 crore.

The CAG reports that were tabled on Thursday amidst din in the House stated that the losses and overdues were as on September 30, 2022.

The CAG report on YEIDA also pointed out that all the residential township and group housing projects were delayed by more than three to five years.

Coming back to audit of various PSUs, the CAG report said that net worth of the PSUs, including Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd, Kanpur Electric Supply Company Ltd, Uttar Pradesh Power Corporation Ltd and UCM Coal Company Ltd, was (-) Rs 62,500.04 crore against equity investment of

The CAG audit report has covered 16 UP government departments, 53 PSUs and 19 other entities

approximately Rs 1.36 lakh crore.

The CAG audit report has covered 16 UP government departments, 53 PSUs and 19 other entities. The report recommended that the state government may review the performance of loss-making PSUs and invest in them cautiously and take measures to improve their performance.

The CAG report also stated that out of the 87 PSUs whose financial performance is covered, 16 PSUs earned profit of Rs 378.18 crore and 21 PSUs incurred loss of Rs 15,856.93 crore. The major profit-making PSUs include UP State Road Transport Corporation (Rs 142.70 crore) and UP Awas Evam Vikas Parishad (Rs 105.16 crore).

The major loss-making PSUs include UPPCL (Rs 8305.27 crore), Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd (Rs 2,957.52 crore) and Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd (Rs 2,042.20 crore).

The report on YEIDA points out that the authority has changed the land use and allotted plots for specified land uses without obtaining approval of the UP government.

The report further pointed out that YEIDA has identified four urban centres for development in Phase-II. However, it has prepared master plans of only two urban centres at Aligarh and Mathura till date. Master plans of Agra and Hathras were not yet finalised which could lead to execution of unplanned and uncontrolled development and construction activities could not be ruled out which may hinder planned development activities at later stages.

Unwarranted invocation of urgency clause had resulted in lapse of 36 proposals resulting in loss of Rs 188.64 crore to YEIDA.

Similarly, government land was resumed in favour of YEIDA at higher rates resulting in excess payment of Rs 128.02 crore. Interestingly, the CAG also pointed out that YEIDA has purchased land beyond requirement/without any roadmap for its utilisation at rates higher than market rates resulting in blockade of funds amounting to Rs 160.23 crore and undue benefits to landowners.

YEIDA could develop only five to 36% of the area planned to be developed for institutional, industrial and mixed land use zones till 2021.

Similarly, YEIDA fixed the sale price for allotment of plots under the 25-250-acre plot scheme on lower side due to not considering different land uses permissible on the allotted plot and consequently suffered estimated loss of Rs 469.02 crore.

According to another CAG report on public health infrastructure and management of health services, the state government has incurred expenditure of around Rs 1.11 lakh crore on healthcare during the period 2016-17 to 2021-22 which was 4.2% to 5.41% of the total budgetary expenditure of the state government. The CAG pointed out this was much below the target envisaged to increase health spending to more than 8% of state budget by 2022 as per 15th Finance Commission.

Report of the Comptroller and Auditor General of India for the period ended March 2022, Government of Uttar Pradesh, Report No. 6 of 2024 (Compliance Audit Civil & Commercial)

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	21 दिसंबर
Edition (H/E)	हिंदी
Page No.	02

अनुदान पर अर्जित ब्याज को देयता में दिखाया

लखनऊ। विधानमंडल के पटल पर रखी गई सीएजी रिपोर्ट में मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, बरेली और अलीगढ़ स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मिली राशि और ब्याज पर आपत्ति जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुदान पर अर्जित ब्याज को देयता के रूप में दिखा दिया और अन्य आय को अधिक आय दिखाते हुए खर्च कर दिया गया। आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 2019-20 में मिले अनुदान पर अर्जित 58.6 लाख रुपये ब्याज को अन्य आय में दिखा दिया गया। फिर इसे लाभ के मद में शामिल कर खर्च भी कर दिया गया। इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए सीएजी ने कहा कि आवास विकास परिषद द्वारा 1984-1996 के बीच बांटे कर्ज की जांच पहले ही आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। मामला अदालत में है। कर्ज वसूली के लिए जारी वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर 6.38 करोड़ रुपये वसूल भी किए गए, लेकिन इसे दूसरे मद में अधिक दिखाकर गुमराह किया गया। इसी तरह लखनऊ की वृंदावन योजना में भूखंड लेने में भी मूल्य तय करने में अंतर मिला है। ब्यूरो

- ब्याज के भुगतान का ही 100 करोड़ बकाया
- द प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आफ यूपी पर 34.63 करोड़
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन पर 44.99 करोड़
- उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड पर 20.55 करोड़ रुपये

लखनऊ और गाजियाबाद मेट्रो कॉर्पोरेशन को नियम विपरित दिए 469 करोड़

लखनऊ। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के मुताबिक, गाजियाबाद और लखनऊ मेट्रो रेल के निर्माण में नियमों की अनदेखी कर करीब 469 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। करीब 469 करोड़ रुपये नियमों को ताक पर रखकर बांटे गए। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021-22 में 37 पीएसयू में से 16 पीएसयू 378.18 करोड़ के फायदे में रहे। वहीं, 21 पीएसयू को 15.856 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ में 145 करोड़ और गाजियाबाद में 321 करोड़ रुपये नियम ताक पर रख बांट दिए गए। दोनों मेट्रो कॉर्पोरेशन में 469 करोड़ रुपये के नियम विरुद्ध भुगतान को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से धनराशि खर्च करने के निर्देश दे सके। आवास विकास परिषद ने सरकार के निर्देश पर अपनी निधि से वर्ष 2019-20 तक यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (तत्कालीन लखनऊ-गाजियाबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) को 145 करोड़ और 324.91 करोड़ का भुगतान किया। ब्यूरो

पीडब्ल्यूडी ने गलत ढंग से तेल कंपनियों को दिए 118 करोड़

लखनऊ। पीडब्ल्यूडी ने 2019-20 से 2021-22 तक तेल कंपनियों को नियम विरुद्ध 117-79 करोड़ रुपये दिए। इसका खुलासा कैग की रिपोर्ट में किया गया है। तेल कंपनियों से पीडब्ल्यूडी तारकोल और इमल्शन सामग्रियां खरीदता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी के खंडों ने व्यय न की गई निधियों की बहुत बड़ी राशि को समर्पित नहीं किया, बल्कि इसे तेल कंपनियों को अग्रिम रूप में मार्च माह के अंत में दे दिया। यह अग्रिम राशि अगले वर्षों में वापस ले ली गई और लागत लेखा शीर्ष में जमा की गई। इस तरह से नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा मानकों के विपरीत जाकर तारकोल व बजरी की अतिरिक्त परत बिछाई, जिस पर 6.87 करोड़ का खर्च हुआ। ब्यूरो

Report of the Comptroller and Auditor General of India for the period ended March 2022, Government of Uttar Pradesh, Report No. 6 of 2024 (Compliance Audit Civil & Commercial)

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	२१ दिसंबर
Edition (H/E)	हिंदी
Page No.	02

यूपीडा ने बिना पंजीकृत अनुबंध के दिया तीन कंपनियों को दो साल का ठेका

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा का स्टांप शुल्क न देने पर 40 करोड़ की चोट

अमर उजाला ब्यूरो

सीएजी रिपोर्ट में खुलासा

ईगल इंफ्रा, सहकार ग्लोबल व इंदरदीप कंस्ट्रक्शन कंपनी के करोड़ों रुपये स्टांप के रूप में बचे

लखनऊ। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा का ठेका लेने वाली कंपनियों से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने 4 फीसदी की दर से स्टांप शुल्क कम लिया। नियम न मानकर यूपीडा ने तीनों कंपनियों के साथ अपंजीकृत करार किया। इस कृपा के बाद तीनों कंपनियों ने लगभग 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की चोट सरकारी खजाने को दे दी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है।

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत अनुबंध पर दो प्रतिशत की दर से स्टांप लगाया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार ने सितंबर 2019 में अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के हस्तांतरित दस्तावेजों पर अतिरिक्त दो प्रतिशत स्टांप शुल्क की व्यवस्था की है। इसके अलावा एक वर्ष या इससे अधिक समय के लिए सालाना किरायेदारी से जुड़े दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत टोल प्लाजा के साथ किए गए अनुबंध भी आते हैं।

सीएजी की जांच में पाया गया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर प्रीमियम की कुल धनराशि चार प्रतिशत की दर से स्टांप शुल्क लिया जाना था। यूपीडा ने इस एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा संचालन के लिए तीन पार्टियों के साथ दो वर्ष का अपंजीकृत अनुबंध किया। इस फैसले से ईगल इंफ्रा इंडिया लि., सहकार ग्लोबल लि. और इंदरदीप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. के करोड़ों रुपये स्टांप के रूप में बच गए। मौजूदा प्रावधानों के खिलाफ यूपीडा ने ठेकेदारों द्वारा न तो सही स्टांप शुल्क जमा कराया और न ही इन अनुबंधों का निष्पादन से पहले पंजीकरण कराया। इस वजह से 9.12 करोड़ रुपये का शुल्क ब्याज के साथ, स्टांप व पंजीकरण शुल्क क्रमशः 13.90 करोड़ और 17 करोड़ रुपये कम जमा हुए। इस तरह 40.02 करोड़ रुपये कम जमा हुए।

सीएजी को दिए जवाब में यूपीडा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन दस्तावेजों के पंजीकरण की जरूरत पर जोर नहीं दिया था। सहकार ग्लोबल लि. के मामले में यूपीडा ने स्टांप शुल्क के भुगतान के लिए प्रयास किए लेकिन कंपनी वाणिज्यिक न्यायालय में चली गई, जहां प्रकरण पर रोक लगा दी गई और मामला मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया। यूपीडा ने इस स्थिति में ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई से हाथ खड़े कर दिए। सीएजी ने जवाब को अस्वीकार करते हुए कहा कि जब पंजीकरण का नियम पहले से है तो क्यों नहीं किया गया। सीएजी के मुताबिक ब्याज व पंजीकरण शुल्क के साथ स्टांप शुल्क के कम जमा होने के कारण राजकोष को 40.02 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

Report of the Comptroller and Auditor General of India for the period ended March 2022, Government of Uttar Pradesh, Report No. 6 of 2024 (Compliance Audit Civil & Commercial)

Name of the Newspaper	हिंदुस्तान
Date	23 दिसंबर 2024
Edition (H/E)	हिंदी
Page No.	02

टोल प्लाजा के ठेकों में कम स्टांप वसूली से सरकार को लगी 39 करोड़ की चपत

- सीएजी की रिपोर्ट में उठाई गई आपत्ति
- स्टांप वसूली में नियमों की हुई अनदेखी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। विधानसभा में रखी गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे टोल प्लाजा के लिए ठेका देने में स्टांप शुल्क निर्धारण में नियमों की अनदेखी की है। इसके चलते सरकार को 39.61 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पट्टे के अंतर्गत आने वाले टोल का ठेका देने के लिए पंजीकृत अनुबंध किया जाना अनिवार्य है। भारतीय स्टांप अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार पंजीकृत पट्टे पर दो फीसदी स्टांप शुल्क लिया जाना चाहिए। सीएजी ने रिपोर्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सितंबर 2019 में दो प्रतिशत स्टांप शुल्क लेने को कहा गया। पट्टे की तिथि से वास्तवित भुगतान की तिथि तक गणना की गई। कम स्टांप शुल्क की धनराशि पर प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की साधारण ब्याज लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्ष दर वर्ष या एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या वार्षिक किराया आरक्षित करने वाले अचल संपत्ति के पट्टों दस्तावेजों को निर्धारित दरों पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए। जांच में पाया गया है कि कुल निर्धारित धनराशि चार प्रतिशत दो प्रतिशत स्टांप व दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाना चाहिए था, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया।